संख्याः 480 /18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 25 अगस्त, 2006

विषयः–वित्तीय वर्ष 2006–07 में जनपद नैनीताल की नवसृजित तहसील कालाढूगी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–156(1)/9–हे0ना0/2006 दिनांक 21 जून, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवसृजित तहसील कालाढूगी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन रु0 314.00 लाख को टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोरान्त औचित्यपूर्ण पाये गये आगणन रु0 290.22 लाख पर प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये रु0 50.00 लाख (रु0 पचास लाख मात्र) की धनराशि को स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक है।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना कि स्वीकृत मार्ग है, स्वीकृत मार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

..(2)

10– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2007 तक पूर्ण उपयोग करके कार्य की वित्तीय एंव भौतिक प्रगति का विवरण एंव उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। उक्त विवरण एव धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–6 लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य भवन–आयोजनागत–051–निर्माण–0103–तहसीलों के अनावासीय भवनों का निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–479/XXVII(5)/2006 दिनांक 17 अगस्त, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
5– निजी सचिव, मुख्यमंत्री।
6– अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
7– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
8– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
9– वित्त अनुभाग–5
10– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
11– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनुसचिव।

4- एक मुश्त प्राविधान को कार्य कराने से पर्वू विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

7- कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तारदायी मानी जायेगी।

8- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

9- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

10- जी0पी0डब्लू0 फार्म-9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

11- कार्यालय के निर्माण हेतु विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एंव नार्गस के अनुसार गठित किया जाये एंव उसकी सूचना शासन को भी दी जायेगी।

12- मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV -219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्तिच किया जायेगा।

......(3)